

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/150633/2021

जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-734) के कि०मी० चैनेज 389.00 (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-0.00) से कि०मी० चैनेज 39.750 तक (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-39.750) तक 63.5796 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में (वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत क्लीयरेंस हेतु)।

Specific recommendation certificate

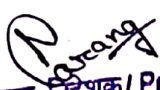
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-734) के कि०मी० चैनेज 389.00 (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-0.00) से कि०मी० चैनेज 39.750 तक (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-39.750) तक 63.5796 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा रेंज वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें तेंदुआ, सॉप (कोबरा)-अनुसूची-1, नीलगाय, जंगली सुअर, गीदड़-अनुसूची-4 एवं हिरन (चीतल)-अनुसूची-3 के वन्य जीव पाये जाते हैं, जिसमें विगत वर्षों में सड़क दुर्घटना होने से वन्य जीवों की मृत्यु हुई है, तथा घायल वन्य जीवों का रेस्क्यू कर उपचार करने के उपरान्त उन्हें उनके प्राकृतिकवास में छोड़ा जाता है। वर्तमान में मार्ग चौड़ीकरण में प्रस्तावित होने के कारण वाहनों की गति बढ़ने से वन्य जीवों की सड़क दुर्घटना होने की प्रबल सम्भावना है तथा वन प्रबन्धन व वन्य जीव सम्बन्धी विषयों के सफल प्रबन्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्तुतियाँ निम्न प्रकार है :-

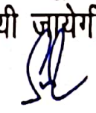
Wild Life Mitigation Measures Equipment Demand

प्रयोक्ता अभिकरण को कार्य करने से पूर्व वन्य जीवों की सुरक्षा एवं वन स्टाफ सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नानुसार सामग्री प्रमाणीय कार्यालय, मुरादाबाद को उपलब्ध करानी होगी :-

1. वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय हेतु 04 साईन बोर्ड साईज-4x6 फुट।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव को जनहित में नियमानुसार स्वीकृत किये जाने की संस्तुति इस शर्त पर की जाती है, कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा कार्य करने से पूर्व उपरोक्त उल्लिखित सामग्री/उपकरण प्रमाणीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी।


परियोजना निदेशक/ Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highway Authority of India
मुरादाबाद Muradabad


(सूरज)
प्रभागीय निदेशक


(सूरज)

सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रभागीय निदेशक,
मुरादाबाद सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/150633/2021

जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-734) के कि०मी० चैनेज 389.00 (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-0.00) से कि०मी० चैनेज 39.750 तक (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-39.750) तक 63.5796 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में (वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत क्लीयरेंस हेतु)।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के Specific recommendation certificate की शर्तों के सम्बन्ध में

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-734) के कि०मी० चैनेज 389.00 (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-0.00) से कि०मी० चैनेज 39.750 तक (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-39.750) तक 63.5796 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में गैर वानिकी कार्यों के फलस्वरूप प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के Specific recommendation certificate की शर्तों के अनुरूप वन प्रबन्धन एवं वन्य जीव सम्बन्धी विषयों के सफल प्रबन्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जिस सामग्री की माँग की जायेगी, उक्त को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद को कार्य करने से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

- यह क्षेत्र वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें तेंदुए, नीलगाय, सोंप (कोबरा), हिरन (चीतल), गीदड़, जंगली सुअर आदि दिखाई देते रहते हैं, तथा यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है।
- यह क्षेत्र 4/6 लैन चौड़ीकरण होने से आने-जाने वाले वाहनों की गति बढ़ जाने से वन्यजीवों की सड़क दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है।।
- इसलिये यहाँ पर वन्यजीवों की सुरक्षा के उपाय हेतु (LOW SPEED ZONE कि०मी० 32.00 से 52.00 तक), 04 साईन बोर्ड साईज-4x6 फुट बनाने की आवश्यकता है।


परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highway Authority of India
मुरादाबाद / Moradabad


(सूक्ष्म)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(सूक्ष्म)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं०-0591-2450066)

पत्रांक 3034 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, अप्रैल, 03 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

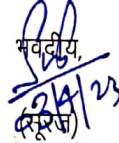
विषय:-

जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-734) के कि०मी 389.00 (प्रस्तावित कि०मी० 0.00) से 39.750 तक (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-39.750 तक) तक चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 63.5796 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्ष व 32859 पौधों (कुल बाधक 44136 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति के संबंध में।
प्रस्ताव सं०- FP/UP/ROAD/150633/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-734) के कि०मी 389.00 (प्रस्तावित कि०मी० 0.00) से 39.750 तक (प्रस्तावित कि०मी० चैनेज सं०-39.750 तक) तक चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 63.5796 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्ष व 32859 पौधों (कुल बाधक 44136 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति का कार्य प्रस्तावित है, जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भारत सरकार/शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 1.0 पर अपलोड कर प्रस्ताव 04 प्रतियाँ मूल में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रस्ताव की 4 प्रतियाँ मूल में।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक

/ दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, निकट-ब्राइड स्टार हास्पिटल, सैक्टर-14, ई-26, दिल्ली रोड, नया मुरादाबाद को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।